

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, तृतीय तल, इन्दिरा भवन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक- C-1226 / बा0वि0परि0 / आ0बा0केन्द्र / 2021-22


दिनांक 17 जनवरी, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /  
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:-** कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्रों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

अपर मुख्य सचिव, गृह(गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-34/2022-सीएक्स-3, दिनांक 05 जनवरी, 2022 तथा निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी-1174/बा0वि0परि0/आ0बा0केन्द्र/2021-22, दिनांक 06 जनवरी, 2022 द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 16.01.2022 तक बन्द रखने के निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 100/2022-सीएक्स-3, दिनांक 16 जनवरी, 2022 द्वारा इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 23.01.2022 तक बन्द रहेंगे। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र उपरोक्त अवधि में बन्द रखे जायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलकर अनुपूरक पोषाहार को प्राप्त किया जायेगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभाग के लाभार्थियों तक टेक होम राशन का डोर-टू-डोर वितरण किया जायेगा।


अतः उक्त के अनुपालनार्थ आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.01.2022 तक समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को बन्द रखा जाये तथा उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

  
(डा0 सारिका मोहन)  
निदेशक

पत्रांक- / बा0वि0परि0 / आ0बा0केन्द्र / 2021-22 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

  
(डा0 सारिका मोहन)  
निदेशक

संख्या-100/2022-सीएक्स-3

पेक्षक

दुर्गा शंकर मिश्र  
मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त ज्ञान, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वागणगी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, राज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/जस्टिस पुलिस अधीक्षक/पुलिस प्रवीक्षक/मुख्य विहितसाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2022

विषय-कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-69/2022-सीएक्स-3, दिनांक 09.01.2022 का कृपया सदर्थ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त संदर्भित आदेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 16.01.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑन लाइन कक्षाएँ जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2 इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 23.01.2022 तक बन्द रहेंगे परन्तु ऑन लाइन कक्षाएँ यथावत् जारी रहेंगी।

भवदीय,

( दुर्गा शंकर मिश्र )  
मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/2022-सीएक्स-3 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
  - (5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( अरुण कुमार अवस्थी )  
अपर मुख्य सचिव